राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—2513/2004

सुनील भार्गव

—अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
2. अधीक्षक, एम.बी.एस. अस्पताल एवं एसोसियट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कोटा।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.08.2024

उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. यह अपील पूर्व में आदेश दिनांक 01.10.2012 की प्रति अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रत्यर्थीगण को तामील नहीं करवाने के कारण अधिकरण के आदेश की पालना नहीं किया जाना मानते हुए खारिज की गयी थी। उसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा अपील को पुर्नस्थापना करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र में आदेश दिनांक 07.02.2012 पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया एवं पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र शुल्क 100/— जमा कराने की रसीद के साथ पुर्नस्थापित किये जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश के उपरान्त अपील को पुर्नस्थापित किया गया।
2. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की ओर से 100/— कोस्ट की राशि अभी तक जमा नहीं करायी गयी है। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित भी नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व की कोस्ट राशि जमा नहीं कराये जाने के आधार पर एवं अदम हाजरी के आधार पर अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)